सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 373 राँची ,गुरुवार 23 श्रावण 1936 (श०)

14 अगस्त, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 अगस्त, 2014

1. बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद का पत्रांक-646, दिनांक 23 सितम्बर, 1989
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-4173, दिनांक 9 अगस्त, 2006 एवं पत्रांक-6235 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 तथा पत्रांक-2952 दिनांक 5 मई, 2009
3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-41/सी0/आ0गो0 (अनु0स0) दिनांक 4 जुलाई, 2008 एवं पत्रांक-215/गो0 दिनांक 27 फरवरी, 2013
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-2410, दिनांक 1 जुलाई, 2014

संख्या-5/आरोप-1-488/2014 का.-8105--श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 318/03, गृह जिला- दुमका), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पद पर इनके कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र-'क' में आरोप बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-646, दिनांक 23 सितम्बर, 1989 के माध्यम से प्रतिवेदित है।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप लगाये गये है:-

1. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-27 पर आपने हाल खेसरा-212, 213, 216 एवं 217 का खाता विनोद महतो, वो लगुन महतो वगैरह के नाम अनियमित रूप से कर दिया। हाल खेसरा- 212, 213 एवं 216 साविक खाता-131 गैर आबाद खाता से बने हैं। गैर आबाद मालिक खाते की जमीन पर बदरकर्ता ने केवाला सं0-2960, दिनांक 19 मार्च, 1980, जिसे वाद सं0 काटकर 3 मार्च, 1948 किया गया, प्रस्तुत किया। परन्तु केवाला करने का बिक्रेता का अधिकार प्रमाणित नहीं हुआ। बिक्रेता शालीग्राम मारवाड़ी, पिता- धनश्याम मारवाड़ी हैं। केवाला 1 जनवरी, 1946 के बाद का है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा-5, 6 एवं 7 के तहत् लगान निर्धारण का प्रमाण नहीं है। इसके बिना अंचल की जमाबंदी एवं आपके द्वारा खोला गया। रैयती खाता दोनों अनियमित है। हाल खेसरा-217, साविक खाता-265 से बना है, जो तरोज में गुहेन रजवार, पिता- जगन रजवार, जाति-रजवार, निवासी चन्द्रा के नाम दर्ज है, इसकी वंशावली तत्काल नहीं मिली। परन्तु इस वंशावली से बदरकर्ता का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में खाता सं0-265 से बने हाल खेसरा-217 की जमीन की खाता बदरकर्ता के नाम किस आधार पर खुल गया स्पष्ट नहीं होता।

2. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-19 के त0मु0 बदर सं0-28 पर आपने हाल खेसरा-275, रकबा-1.475 का खाता मात्र रसीदी बन्दोबस्ती (जमींदारी) जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया एवं सरकारी रसीद के आधार पर बिहार के नाम से खारिज कर रैयती कर दिया गया, जमींदारी रिर्टन द्वारा उक्त बन्दोबस्ती प्रमाणित करने का आपने कोई प्रयास नहीं किया, रसीद बन्दोबस्ती प्रमाणित नहीं हुई, वैसे भी अपने आप में यह बन्दोबस्ती का ठोस प्रमाण नहीं है। इस प्रकार यह खाता अनियमित है। सरकारी रसीद पूर्वाग्रहरहित होती है। जमाबंदी खोलने का वर्ष अंकित नहीं है। भ्रष्टाचार का यह स्पष्ट परिस्थितगत प्रमाण है।

3. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-129 पर आबाद मालिक खातों के बने हाल खेसरा-272 एवं 273 के खाते बिहार सरकार के नाम से खारिज कर रैयती कर दिये। प्रमाण में बदरकर्ता ने केवाला सं0-396, दिनांक 21 जनवरी, 1978 प्रस्तुत किया, सरकारी रसीद भी दिखाई गई, परन्तु जबतक बिक्रेता का अधिकार प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा-5, 6 एवं 7 के तहत् लगान निर्धारण आवश्यक है अन्यथा जमींदारी उन्मूलन के तुरंत बाद जमीन बिहार सरकार के निहित हो गयी। एम प्रपत्र बदरकर्ता ने प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आप ने माँगा। इससे स्पष्ट होता है कि आपने बिहार सरकार के हितों की नुकसान पहुँचाते हुए बदरकर्ता से मिली भगत करके भ्रष्टाचार का सहारा लिया है। कानूनगो को आपने दिनांक 14 अगस्त, 1985 को किस्म जमीन एवं दखल जाँच प्रतिवेदन देने के लिए कहा, यह मैंने कही नहीं पाया गया कि दिनांक 26.03.1985 को आपने बिना एम प्रपत्र देखे 1978 के केवाला के आधार पर इन दोनों खेसरों को रैयती कर दिया।

4. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-36 पर आपने गैर आबाद मालिक खाता-258 से बने हाल खेसरा-311 का खाता बदरकर्ता के नाम बनाया। बिक्रेता भूतपूर्व मध्यवर्ती था या नहीं स्पष्ट नहीं होता, क्रेता कार्तिक महतो से वर्तमान बदरकर्ताओं का क्या संबंध है एवं उनके कोई उत्तराधिकारी हैं या नहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, सरकारी रसीद कब से कट रही है एवं भूतलछी प्रभाव से जमींदारी उन्मूलन के बाद से लगान निर्धारण हुआ। यह स्पष्ट नहीं होता।

5. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-79 पर आपने साविक गैर आबाद मालिक खाता 131 से बने हाल खेसरा-5217, रकबा-1.24डी0 एवं 5233 रकबा 1.96डी0 का खाता बिहार सरकार के नाम से खारिज कर बदरकर्ता ने नाम कर दिया, प्रमाण में 23 अप्रैल, 1946 का केवाला दिखाया गया। परन्तु बिक्रेता शालीग्राम मारवाड़ी के बेचने का अधिकार प्रमाणित नहीं हुआ। आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि सरकारी रसीद कब से कट रही है। जमींदारी रिर्टन से बन्दोबस्ती प्रमाणित नहीं की गई। अधिक से अधिक अपीलकर्ता का अवैध दखल दर्ज करते हुए बिहार सरकार के नाम से खानापुरी इन्द्राज बहाल रखना चाहिए था।

6. त0मु0 बदर सं0-144 पर एवं अमीन प्रतिवेदन सं0-77 पर आपने हाल खेसरा 441/6005 का खाता रकबा-0.50डी0 किस्म जमीन वाईद बनाम बदरकर्ता किया। वक्त खानापुरी किस्म जमीन गोड़ा-2 लिया है। गैर आबाद मालिक खाता-156 से बने इस भू-खण्ड को आपने केवाला सं0-7518 दिनांक 10 मई, 1965 एवं सरकारी रसीद के आधार पर रैयती किया। बिक्रेता केदार रजवार भूतपूर्व मध्यवर्ती थे या नहीं बदर पर अंकित नहीं है। यदि मध्यवर्ती नहीं थे तो उनकी मूल बन्दोबस्ती कब की थी एवं बन्दोबस्ती करने वाले जमींदार ने अपने रिर्टन में दिखावे या नहीं स्पष्ट नहीं होता। यदि वे भूतपूर्व मध्यवर्ती थे तब भी उन्हें निजी जोत के तहत् एम प्रपत्र में लगान निर्धारण करने के बाद ही यह केवाला करना चाहिए था। एम प्रपत्र के बिना यह जमीन राज्य सरकार में निहित हो गयी। इस प्रकार सरकारी रसीद का भी कोई महत्व नहीं है। चूँकि आप या अंचल अधिकारी, बिहार भूमि सुधार अधिनियम एवं विभागीय अनुदेशों से उपर नहीं है। स्पष्ट रूप से यह बात रयैतों से मिलीभगत करके बनाया गया है तथा राज्य सरकार के हितों को क्षति पहुँचाई गई है।

7. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-154 गैर आबाद मालिक खाता-198 हाल खेसरा-2481 गोड़ा-1 एवं 2482 मकान का खाता आपने एक मात्र प्रमाण सरकारी रसीद सं0-190 के आधार पर सुधीर कुमार पाण्डेय वो पूर्णचन्द्र पाण्डेय वो अशोक कुमार पाण्डेय पिता- भुवनेश्वर पाण्डेय वगैरह के नाम कर दिया। मूल बन्दोबस्ती जमींदारी रिर्टन बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा-5, 6 एवं 7 की अधिनियम तथा नियमावली के अन्तर्गत लगान निर्धारण आदि विषयों पर बदर में किसी प्रकार का उल्लेख आपने जरूरी नहीं समझा। अंचल की रसीद पूर्वाग्रहरहित होती है। जब तक अन्य प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया जाय। इस रसीद की अवधि भी नहीं है। दखलकर्ता के दखल की अवधि भी वक्त खानापुरी आबाद सं0-127 के उपर 1980 दर्ज है, जिससे दखलकर्ता को अवैध दखल की 30 वर्षों की अवधि के आधार पर सुविधा नहीं दी जा सकती।

8. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0द0 सं0-54 (क) पर वक्त खानापुरी बिहार सरकार के नाम खोलों गये हाल खेसरा-5762, रकबा-0.8डी0 किस्म जमीन मोटामेड़ एवं 5763, रकबा-0.51डी0 का खाता आपने डोमन गोप, पिता-गणेश गोप के नाम बना दिया प्रमाण के केवाला सं0-1973 दिनांक 1 अप्रैल, 1939 बिक्रेता हनुमान माड़वाड़ी वो शालीग्राम माड़वाड़ी तथा सरकारी रसीद प्रस्तुत की गयी बिक्रेता कौन है, उनका बेचने की हैसियत है या नहीं इस संबंध में बदर पर कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार जमाबंदी किस वर्ष स्थापित हुई एवं सरकारी रसीद बदरकर्ता द्वारा जमींदारी उन्मूलन के बाद से अब तब प्राप्त की गयी या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता। बिना शुरू से अब तक लगान कराये यह जमीन सरकार में निहित हो जायेगी, पट्टा चाहे, जितना पुराना क्यों नहीं हो इस प्रकार से आपने आवश्यक पूछताछ नहीं की एवं बदरकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से सरकारी हितों को क्षति पहुँचाई।

9. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-68 (ख) पर आपने हाल खेसरा-5077, रकबा-34डी0 हाल खेसरा-5878 रकबा- 0.64डी0 हाल खेसरा- 5886, रकबा- 0.10डी0 मोटामेड़ का खाता राजेन्द्र मिश्र, पिता-नवल कुमार मिश्र के नाम पर बिना हाल खेसरा-3886 का किस्म जमीन मोटामेड़ है तथा वक्त खानापुरी किसी का अ0द0 भी दर्ज नहीं है। ये तीनों को खेसरे वक्त खानापुरी उचित प्रमाण के अभाव में सरकार के नाम दर्ज किये, जिन्हें आपने 1963 एवं 1975 के केवालों के आधार पर रैयती कर दिया, 1 जनवरी, 1946 स्वतः अवैध है, मूल बन्दोबस्ती बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत लगान निर्धारण आदि के प्रामण नहीं किये गये हैं, अंचल कार्यालय या बन्दोबस्ती शिविर अधिनियम एवं विभागीय अनुदेशों के उपर नहीं है, अतः उचित प्रमाण के अभाव में जमाबंदी सं0-675 एवं 676 तथा आपके खोले गये तीनों रैयती खाते अनियमित हैं। क्रेता एवं बिक्रेता एक ही परिवार के सदस्य हैं।

10. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-92 (ख) पर आपने हाल खेसरा-5881 जो साविक खेसरा 4892 से बना है एवं जिसका जमीन मोटामेड़ रकबा-0.8डी है, का खाता अ0वि0स0 के नाम से काट कर आनन्द मोहन मिश्र वगैरह के नाम कर दिया। कानूनगों ने प्रमाण में केवाला की बात की है। इस बदर पर किसी केवाला का संदर्भ नहीं है, जिसमें साविक खेसरा-4992 का संदर्भ है। अतः यह धोखाधरी का स्पष्ट मामला है, जिसमें आपका एवं कानूनगों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। केवाला के अभाव में केवाला का अधिकार आदि प्रमाणित करने का प्रश्न हीं नहीं उठता, सरकारी रसीद पूर्वाग्रहरहित है। वक्त खानापुरी किसी का अ0द0 दर्ज नहीं है। आपने भी स्थानीय जाँच नहीं करायी फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किस मोटामेड़ पर आनन्द मोहन मिश्र वगैरह का दखल प्रमाणित होता है।

11. ग्राम बराजोड़, थाना सं0-198 के त0मु0 बदर सं0-55 (ख) पर आपने हाल खेसरा-5890 किस्म जमीन नाला, रकबा- 1.54डी0 खाता जो वक्त खानापुरी अनाबाद सर्वसाधारण के नाम से बना था, को रैयती कर दिया, आपने बदरकर्ता से एम प्रपत्र की माँग 19 फरवरी, 1985 को की, परन्तु बदरकर्ता ने उसे प्रस्तुत नहीं किया, बावजूद इसके आपने दिनांक 17 अप्रैल, 1985 को खाता रैयती कर दिया, यह खेसरा गैर आबाद मालिक खाता से बना है। नाला पर निर्गत सरकारी रसीद अनियमित है। मूल बन्दोबस्ती यह एम प्रपत्र नहीं देखा गया। वक्त खानापुरी किसी का अ0द0 दर्ज नहीं है। कानूनगों द्वारा दखल पाया जाना आश्चर्यजनक है। चूँकि नाला पर दखल अनिश्चित है। बदरकर्ता का प्रमाण सामान्य

बदर 54(ख) पर बताया गया, परन्तु उस बदर पर अंकित ऐसा एम प्रपत्र में साविक खाता 233 की चर्चा है। जबकि प्रश्नगत भू-खण्ड साविक खाता 235 से बना है। इस प्रकार आपने रैयत से मिलीभगत करके सरकारी हितों को भारी क्षति पहुँचाई है एवं प्रमाण में गलत संदर्भ दिया है, जिसे क्यों नहीं धोखाधरी समझते हुए आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

12. ग्राम बराजोड़, नं0-198 के त0मु0 बदर सं0-182(क) पर आपने कुल 29 हाल खेसरों पर आदेश पारित किये, जो गैर आबाद मालिक खाते से बने हैं। आपने बिना किसी भी प्रमाण के मूल बन्दोबस्ती एम प्रपत्र आदि का या जमाबंदी सं0 आदि का कोई प्रमाण अंकित किये दिनांक 15 अप्रैल, 1985 को मिश्रा परिवार के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हाल खेसरों को खाता बिहार सरकार के हितों को क्षति पहुँचाते हुए खाता खोल दिया, जो एक सरकारी पदाधिकारी के रूप में अत्यंत दर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। इस बदर के द्वारा आपने बहुत बड़े पैमाने पर एक से बारह एकड़ प्रति खेसरा रकबावाले अनेक भू-खण्डों को मिश्रा परिवार के सदस्यों के नाम किया, जो भ्रष्टाचार का स्पष्ट परिस्थितिगत साक्ष्य है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-4173, दिनांक 9 अगस्त, 2006 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-41/सी0/आ0गो0 (अनु0स0) दिनांक 4 जुलाई, 2008 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपको 21 तिथियों पर सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के लिए निदेश दिया गया परन्तु आप सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए न ही अपना बचाव बयान ही समर्पित किया। आपके द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किए जाने के कारण आरोपों के संबंध में आपकी मौन स्वीकृति मानते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा आपके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

अतः दण्ड अधिरोपण हेतु विभागीय पत्रांक-6235 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री सिन्हा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। परन्तु स्मारित करने के बाद भी श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

अन्ततः श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उस पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के मंतव्य के आधार पर आरोपों की समीक्षा कर आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी से पत्रांक-2952, दिनांक 5 मई, 2009 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

इसके अनुपालन में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग-सह- संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-215/गो0, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हुए उल्लेख किया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा सरकारी भूमि का गलत ढंग से बंदोबस्ती करने सम्बंधी निर्णय लेते समय यह याद नहीं रखा गया कि वे एक सरकारी सेवक हैं और अधिनियम के अनुसार सरकारी हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। सरकारी भूमि के संबंध में निर्णय लेते समय राजस्व पदाधिकारी को अत्यधिक सतर्कता बरता जाना एवं ठोस साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त ही सरकारी भूमि के खाता को किसी निजि व्यक्ति के नाम खोलने की अनुमति दिया जाना अपेक्षित था। स्पष्टतः आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरती गई है।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन एवं उपादान से 40 प्रतिशत की राशि पाँच वर्षो तक कटौती करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। विभागीय पत्रांक-2461, दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43ख(ग) के अन्तर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति हेतु अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में झारखण्ड लोक सेवा आयोग ने पत्रांक-2410, दिनांक 1 जुलाई, 2014 द्वारा सहमति प्रदान की है।

अतः श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए **पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन एवं उपादान से 40 (चालीस) प्रतिशत राशि की पाँच वर्षों तक कटौती का दण्ड** इनपर अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 373–50 ।